माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

अध्यापक कल्याण कोष न्यास से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु नियम

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांकः 03.03.2019

(अ) छात्रवृति हेतु पात्रता एवं सामान्य नियम

1. छात्रवृत्ति सेवारत/सेवानिवृत्त एवं दिवंगत के पुत्र/पुत्री/पत्नि/पति को ही दी जायेगी ।
2. अध्यापक की स्वयं एवं पत्नि (यदि पत्नि सेवारत हो) अथवा दिवंगत/सेवारत अध्यापक के परिवार की समस्त साधनों से वार्षिक आय रू. 8,00,000 अथवा इससे कम हो ।
3. छात्रवृत्ति सीनियर सैकण्डरी अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च अध्ययन करने वालों को ही दी जायेगी । सैकण्डरी अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी छात्रवृत्ति दी जा सकती है ।
4. अध्यापक के परिवार में अधिकतम दो आश्रितों को छात्रवृति देय होगी किन्तु एक सत्र में केवल एक ही आश्रित की छात्रवृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा ।
5. छात्रवृत्ति केवल एक सत्र के लिए ही दी जावेगी तथा अगले सत्र में छात्रवृत्ति चाहने हेतु उन्हें पुनः नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया में समयानुसार एवं नियमान्तर्गत आवेदन भेजना होगा तथा अनुत्तीर्ण छात्र/छात्रा एवं परिवार की आय रू. 8,00,000 वार्षिक से अधिक होने पर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा ।
6. छात्रवृत्ति अध्यापक के परिवार की आय एवं छात्र/छात्रा के परीक्षाफल के आधार पर ही दी जावेगी ।
7. छात्रवृत्ति केवल नियमित अध्ययन करने वाले छात्र/छात्रा को ही 10 माह के लिए देय होगी ।
8. छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय छात्र /छात्रा को आंवटित पंजीयन संख्या एवं कक्षा/संकाय का उल्लेख अवश्य करें ।
9. आवेदन पत्र समस्त सूचनाएं स्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिए । अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा ।
10. छात्र/छात्रा के पते में परिवर्तन की स्थिति में कार्यालय को नये पते की सूचना समय पर भेजे ।
11. आवेदन पत्र ऑन लाईन भरे जाने के पश्चात् प्राप्त प्रिन्ट निम्न पूर्तियां/संलग्न कर **दिनांक 31.03.2019** तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में प्रेषित किया जाना आवश्यक है–
    1. छात्र की शिक्षण संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण ।
    2. अध्यापक की वर्तमान/अंतिम संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण ।
    3. गत परीक्षा उत्तीर्ण अंकतालिका ।

4. अध्यापक स्वयं की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र(फार्म 16) तथा यदि पति/पत्नि भी सेवारत है तो उनके भी आय प्रमाण पत्र/फार्म 16
5. आवेदन पत्र में अंकित बैंक सूचना यथा नाम, पूर्ण खाता संख्या, आई एफ एस सी कोड आदि के सत्यापन हेतु छात्र के बैंक खाते की पासबुक की प्रमाणित प्रतिलिपि अथवा एक निरस्त चैक जिसमें उक्त समस्त सूचनाऐं मुद्रित हो, संलग्न करें ।

12. उपरोक्तानुसार संलग्न के मूल आवेदन पत्र **दिनांक 31.03.2019** तक निम्न पते पर पहुंच जाना चाहिए । **दिनांक 31.03.2019** के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते है –

सचिव
अध्यापक कल्याण कोष न्यास
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

13. आवेदन पत्र ऑन लाईन ही स्वीकार किये जायेगें । पृथक से प्रेषित आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगें । उन्हे निरस्त माना जायेगा ।
14. ऑन–लाईन आवेदन में किसी प्रकार की असुविधा पर कार्यालय के दूरभाष संख्या 0145–2632866, 2632867, 2632868 पर सम्पर्क करें ।
15. स्वीकृत की जाने वाली छात्रवृत्ति निम्नानुसार होगी–

क्र.सं.	**पाठ्यक्रम**	**छात्रवृत्ति दर**
1.	महाविद्यालय, बी.एस.टी.सी.,आई.टी.आई, पंचवर्षीय एल एल बी, कम्प्यूटर साईंस, सैकण्डरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण छात्रों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु	रू. 300/– प्रतिमाह
2.	पोलिटैक्नीक अथवा समकक्ष डिप्लोमा, नर्सिंग, फार्मेसी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु	रू. 450/– प्रतिमाह
3.	बी.एड. एवं एम. एड. हेतु	रू. 600/– प्रतिमाह
4.	तकनीकी एवं व्यावसायिक यथा मेडीकल, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग,एम.बी.ए., वेटनरी, आई.आई.टी एवं पी.एचडी हेतु	रू. 750/– प्रतिमाह

16. छात्रवृति उन्ही को दी जायेगी जिनको किसी अन्य स्त्रोत् से सहायता प्राप्त नहीं हो रही हो ।

अध्यापक की परिभाषाः–

अध्यापक का अर्थ उस अध्यापक/अध्यापिका से है जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में 5 वर्ष से अध्यापन कार्य में संलग्न है तथा कम से कम 2 वर्ष तक सैकण्डरी, प्रवेशिका तथा वरिष्ठ उपाध्याय कक्षाओं से सम्बन्धित हो अथवा रहे हों एवं साथ ही बोर्ड की उत्तरपुस्तिका जांचने हेतु परीक्षक के रूप में पंजीकृत हो । इस श्रेणी में सेवानिवृत्त अध्यापक/अध्यापिका भी सम्मिलित है ।